BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

संसद का गठन, संसद के कार्य और शक्तियॉ, संसद की कार्यवाही

संसद का गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। दोनों सदन क्रमशः राज्य सभा तथा लोकसभा होगा। संसद, भारतीय संघ सरकार का विधायी अंग है। संसद में राष्ट्रपति को इसलिए शामिल किया गया है, क्योंकि कोई भी विधेयक, अधिनियम कानून का रूप तभी लेता है, जब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है।

संसद के कार्य और शक्तियॉ (Functions and Powers of Parliament)

1. **व्यवस्थापन संबंधी शक्तियॉ** – संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को सभी संघीय क्षेत्रों के लिए सदैव सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संकटकाल के उद्घोषणा के समय में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
2. **कार्यपालिका शक्तियॉ** – भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनायी गयी है। अतएव मंत्रिमण्डल संसद के प्रति उतरदायी होता है। संसद सदस्य सरकार की आलोचना, सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न इत्यादि पूछ सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकृत करके, सरकारी विधेयक मे संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं।
3. **वित्तीय शक्तियॉ** – संसद द्वारा संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मॉग संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही मान्य होता है

क्योंकि संविधान के अनुसार, "विधि के प्राधिकार" के बिना न तो कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता। संसद की स्वीकृति के बिना, सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है।

4. **राज्यों से संबंधित शक्तियॉ** – संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उसके नामों और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। नये राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है।
5. **संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियॉ** – भारतीय संविधान में संसद का यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन के लिए सिर्फ निर्धारित मापदण्ड का पालन करना होगा। संविधान में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा दो–तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है।
6. **निर्वाचन संबंधी कार्य** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियॉ प्रदान की गई है। उक्त प्रावधान के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्रमशः राज्य सभा(उच्च सदन) एवं लोकसभा(निम्न सदन) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है एवं अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।
7. **महाभियोग का अधिकार** – संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार संसद उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
8. **संविधान के अनुसार ही कार्यो का सम्पादन** – भारतीय संसद को संविधान के अनुसार ही संसद की कार्यवाही का सम्पादन करना पड़ता है। संसद द्वारा ही समय–समय पर आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन किया जाता है लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढॉचे को बदल सके अथवा नष्ट कर सके।

संसद की कार्यवाही – कोई भी संसदीय सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व सर्वप्रथम शपथ लेता है। शपथ ग्रहण करने के उपरान्त ही उसे संसद का विशेषाधिकार

प्राप्त होता है। संसद की कार्यवाही/बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता होती है जिसमें कुल सदस्य संख्या का 1/10 वॉ भाग होना आवश्यक है। संसद के कार्यो का संचालन हिन्दी एंव अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। संसद में सभी भाषाओं के अनुवादक उपलब्ध रहते हैं। अधिनियम के अनुसार, किसी भी अधिवेशन की प्रथम तिथि से लेकर सत्रावसान तक का समय "सत्र" (Session) कहलाता है। सत्र को बुलाने व सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद के तीन सत्र क्रमशः शीत कालीन सत्र, ग्रीष्म कालीन सत्र और मानसून कालीन सत्र होते हैं।

संसद में विपक्ष की भूमिका

भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष के प्रभावी होने से ही संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। विपक्ष के द्वारा सिर्फ सरकार की आलोचना ही नहीं की जाती है बल्कि सरकार को रचनात्मक सुझााव भी दिया जाता है। विपक्ष सरकार को नियंत्रित रखने का भी कार्य करती है। विपक्ष जनता की मॉगों तथा समस्याओं को संसद व सरकार के समक्ष रखती है।

Main Points :-

- संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत है।
- संसद द्विसदनात्मक सिंद्वात के आधार पर गठित है।
- राजनीतिक दृष्टिकोण से संसद लोकमत के प्रतिकूल विधियों का निर्माण नहीं कर सकता।
- संसद पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल का नियत्रंण रहता है।
- संसद के निम्न सदन(लोकसभा) का विघटन प्रधानमंत्री करवा सकता है।
- भारतीय संसद सम्प्रभु नहीं है।
- संसद को भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार है।